

B.8.23,

पिन

पत्रावली पेश हुई व कुलाय पक्षका उपस्थित।

हस्तगत प्रकरण का मूल वाद वादबाण नहीं रहने के  
खारिज हो चुका है। वर्तमान मूल वाद खारिज हो जाने  
से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। निर्णय सरे इजलास द्वारा भेजा।

प्रकरण फ़ैसल शुदा दिना नम्बर ले डम

है।

प्रतिभा वर्मा

DAS  
उपखण्ड अधिकारी  
गिरवा-उदयपुर